न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मालाखेडा जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी सुश्री नवज्योति कंवरिया (आर.ए.एस.)

वाद संख्या	तारीख दायर	निर्णय दिनांक
1/111	27.05.2025	03.11.2025

बउनवान

01. संगीता गुप्ता पुत्री मुरारी पत्नी अमिल कुमार गुप्ता जाति महाजन निवासी मालाखेडा तहसील मालाखेडा जिला अलवर हाल निवासी 344 आर्दश कोलोनी दाउदपुर अलवर
02. नन्दनी गुप्ता पुत्री मुरारी पत्नी नीरज कुमार गुप्ता जाति महाजन निवासी मालाखेडा जिला अलवर हाल निवासी वार्ड 15 हाईस्कुल रोड कोटकासिम अलवर
03. सविता गुप्ता पुत्री मुरारी पत्नी महावीर कुमार गुप्ता जाति महाजन निवासी मालाखेडा जिला अलवर हाल निवासी चन्दन बाजार नियर लक्ष्मी नारायण टेम्पल भदरक टाउन भदरक उडीसा

वादीगण

बनाम

01. तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) मालाखेडा जिला अलवर

तकमिली प्रतिवादी

उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते मालाखेड़ा (अलवर)

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

वकील वादीगण एक वादपत्र अन्तर्गत धारा–88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया गया। जिसका सार इस प्रकार है कि आराजी नया खाता संख्या 17 में वर्णित खसरा संख्या–502 रकबा 0.53 हैक्टेयर, 503 रकबा 0.43 हैक्टेयर कुल खसरा 2 रकबा 0.96 हैक्टेयर वाके ग्राम मालाखेडा, तहसील मालाखेडा जिला अलवर में स्थित है, जिस आराजी में वादनियों का क्रमशः 1/25, 1/25, 1/25 हिस्सा बदस्तूर चला आता है। अक्त आराजी वादनियों को अपने पिता मुरारी से विरासत में मिली है, जिसके इन्तकाल संख्या 3467 दिनांक 05.02.2020 व 4387 दिनांक 12.10.2024 तथा इन्तकाल संख्या 4425 दिनांक 11.12.2024 में प्रतिवादी संख्या–01 द्वारा वादनियों के नाम मंजूर किया गया। जिस विरासत में वादनी संख्या 01 का घर का नाम सरला, वादनी संख्या–02 का नाम सुनिता तथा वादनी संख्या–03 का नाम संगीता दर्ज कर दिया गया। वादनियों द्वारा पूर्व में कभी भी विवादित इंतकाल का अवलोकन नही किया गया। वादनी को किसान कार्ड योजना के तहत ऋण की आवश्यकता पडने पर उक्त विवादित इंतकाल का पता चला। तहत न्यायालय श्रीमान तहसीलदार द्वारा विवादित इंतकाल तस्दीक करने से पूर्व वादनियों को सम्यक रूप से तलब नही किया गया, जिससे विवादित इंतकाल में वादनी संख्या–01 का नाम संगीता गुप्ता की जगह सरला, वादनी संख्या–02 नन्दनी गुप्ता की जगह सुनिता तथा वादनी संख्या–3 सबिता गुप्ता की जगह सरिता नाम अंकित हो गया। जिसे दुरस्त किया जाना अति आवश्यक है। अन्य सरकारी दस्तावेजों जैसे–आधार कार्ड, राशन कार्ड, पेन कार्ड से बखूबी आयद है कि

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)

वादीगण का असल नाम संगीता गुप्ता, नन्दनी गुप्ता व सबिता गुप्ता है। वादीगण द्वारा वादपत्र पेश करते हुए विवादित इन्तकाल संख्या 3467 दिनांक 05.02.2020 इंतकाल संख्या 4387 दिनांक 12.10.2024 तथा इन्तकाल संख्या 4425 दिनांक 11.12.2024 में दर्ज सरला, सुनिता, सरिता को कलमजन कर उसके स्थान पर संगीता गुप्ता, नन्दनी गुप्ता, सबिता गुप्ता नाम दर्ज करने हेतु संसोधित इंतकाल आदेश जारी करने का निवेदन किया गया।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये रजि. एडी. सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी पैरोकार सरकार द्वारा अपने जवाब मे वादपत्र को स्वीकार किया जाकर संसोधित इंतकाल जारी करने की अभिशंषा की।

वकील वादीगण द्वारा साक्ष्य गवाह में आशीष गुप्ता पुत्र उमाशंकर गुप्ता तथा गिरधारी लाल गुप्ता पुत्र शिवचरण गुप्ता के हल्फनामे पेश किये।

पत्रावली मे वादीगण वकील की फाइनल बहस सुनी ।

पत्रावली का अवलोकन किया। संलग्न दस्तावेजात पर गौर किया कि पत्रावली में प्रस्तुत इंतकाल संख्या–698 दिनांक 25.09.2003 में मुरारी पुत्र शिम्भू की विरासत बेवा अंगूरी, पुत्र मांगीलाल तथा पुत्रियों सुनिता, सरिता, सरला के नाम ग्राम पंचायत मालाखेडा द्वारा नामान्तकरण स्वीकार हुआ है। उसी आधार पर नामान्तकरण दर्ज होकर वर्तमान जमाबंदी संम्वत् 2070–2075 खाता संख्या नया–17, आराजी खसरा नम्बर–502 रकबा 0.53 हैक्टेयर व 503 रकबा 0.43 हैक्टेयर कुल किता 02, कुल रकबा 0.96 हैक्टेयर वाके ग्राम मालाखेडा में वादीगण का नाम सूनीता पुत्री मूरारी, सरला पुत्री मूरारी व सरिता पूत्री मूरारी दर्ज चला आ रहा है। रिकॉर्ड का अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण का नाम इंतकाल संख्या 698 दिनांक–25.09.2003 से ही सूनीता पुत्री मूरारी, सरला पुत्री मूरारी व सरिता पूत्री मूरारी दर्ज चला आ रहा है। अतः प्रस्तुत प्रकरण धारा–88 '' अधिकार की घोषणा किये जाने हेतु दावे'' व धारा–188 '' अवैध बेदखली के विरूद्व व्यादेश'' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का ना होकर अपील का है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र अन्तर्गत धारा–88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

(नवज्योति कंवरिया)
(आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी मालाखेडा (अलवर)

निर्णय आज दिनांक 03.11.2025 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(नवज्योति कंवरिया)
(आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी मालाखेडा (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)